

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 176/2024

अनवान :

1. प्रियंका पुत्री भीमसिंह जाति मेघवाल निवासी भैरुछानी तहसील भादरा नाबालिग जरिए वली कुदरती माता सुमन पत्नी भीमसिंह जाति मेघवाल निवासी भैरुछानी त० भादरा।
2. आजाद पुत्र भीमसिंह जाति मेघवाल निवासी भैरुछानी तहसील भादरा नाबालिग जरिए वली कुदरती माता सुमन पत्नी भीमसिंह जाति मेघवाल निवासी भैरुछानी त० भादरा।

:- वादीगण

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी भैरुछानी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जवाबदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं० 25/16 के मु० नं० 75 के कि० नं० 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 2.517 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भीमसिंह के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता संख्या 227/83 के मु० नं० 71 के किला नं० 2/1, 2/2, 3/1, 9, 11, 12, 19 ता 22, मु० नं० 72 के किला नं० 14 ता 17 की कुल 3.137 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 भीमसिंह के नाम 1126/9411 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह अकेले की बजाए वादी संख्या 1 प्रियंका व वादी संख्या 2 आजाद व प्रतिवादी संख्या 1 भीमसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.5.26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*Nidhi*

(निधि उड़सरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

